प्र0स0 14/2018 सीगा अपील

अनवान धीर सिंह पुत्र रामसिंह आदि बनाम जीवन सिंह पुत्र बन्ता सिंह आदि

मिसल नं. .....

फर्द अहकाम

दिनांक .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस की तारीख में जारी
15-7-21	आज यह पत्रावली अधिवक्ता अपीलांट मय अपीलांट संख्या 01 धीर सिंह पुत्र रामसिंह व अपीलांट संख्या 02 हरजेन्द्र सिंह पुत्र राज सिंह द्वारा उपस्थित होकर विड्रॉ प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवानी अपील में अपीलांट आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते है तथा अपनी अपील विड्रो करना चाहते है। अतः अपीलांट को अपील विड्रो करने की अनुमति प्रदान करे। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र शामिल मिसल किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील आगे नहीं चलाने हेतु निवेदन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अपीलांट स्वीकार किया किया जाकर अपील अपीलांट विड्रॉ की जाने की अनुमति दी जाती है एवं अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा आदेशिका दिनांक 19.02.2018 द्वारा प्रश्नगत भूमि वाके चक 3 केएसएम तहसील अनूपगढ़ के पत्थर न. 285/400 व पत्थर न. 284/400 की कुल 50.00 बीघा भूमि पर बैय, हस्तांतरण न करने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 10 के विरूद्व जारी की गई निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाता है। निर्णय प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0), अनूपगढ़ का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील तरतीब दाखिल दफतर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। हरीतिमा (डॉ0 हरीतिमा) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़	

Scanned by CamScanner